न्यायालय–अमित कुमार शुक्ला, अवर न्यायाधीश (प्रथम),नरकटियागंज
स्वत्व वाद संख्या–175/2000
cis-390/2019

अशर्फी राउत...वादी
बनाम
माया देवी एवं अन्य..प्रतिवादीगण

01.12.21 उभय पक्ष की पैरवी है। वादी की ओर से एक आवेदन दिनांक 29.10.21 अंतर्गत आदेश 01 नियम 10 (2) के तहत दाखिल किया गया है, जिस पर प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ''नो आब्जेक्शन'' लिखा गया है।

वादी का अपने आवेदन में कहना है कि प्रस्तुत वाद की प्रतिवादी संख्या–1 माया देवी की मृत्यु दिनांक 17.06.21 को हो चुकी है तथा वे अपने पीछे अपने पुत्रों सुशील साह, राजकुमार साह, अनील साह को छोड़ गए हैं जो प्रस्तुत वाद में पूर्व से ही प्रतिवादी संख्या–1ए, 2 तथा 3 हैं। अतः वादपत्र से प्रतिवादी संख्या–1 माया देवी का नाम कलमजद किया जाय।

अभिलेख परिशीलन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद के प्रतिवादी संख्या–1 माया देवी की मृत्यु हो गई है तथा उनके विधिक वारिसान इस वाद में पूर्व से ही पक्षकार हैं। अतः न्याय हित में वादी का आवेदन स्वीकृत किया जाता है तथा कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह वादपत्र से प्रतिवादी संख्या–1 का नाम विलोपित करें। वास्ते अग्रिम कार्रवाई हेतु अभिलेख दिनांक 03.12.2021 को प्रस्तुत करें।

अवर न्यायाधीश(प्रथम)